[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRADORDINARY, PART II, SECTION 3 SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
(Department of Industrial Policy and Promotion)

Notification

New Delhi, the 31st Oct...2013

G.S.R. No.........(E).--- The following draft of certain rules further to amend the Designs Rules, 2001 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 47 of the Designs Act, 2000 (16 of 2000) is hereby published, as required by sub-section (3) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

objection or suggestions, if any, to the said draft rules may be addressed to the Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), Udyog Bhavan, New Delhi-110011 or by e-mail at chandni.raina@nic.in;

the objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.-
   (1) These rules may be called the Designs (Amendment) Rules, 2013.
   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In rule 5 of the Designs Rules, 2001 ((hereinafter referred to as the principal rules), in sub- rule (2), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

"(e) In case an application processed by a natural person is fully or partly transferred to a person other than a natural person, the difference, if any, in the scale of fee(s) between the fee(s) charged from a natural person and the fee(s) chargeable from the person other than natural person in the same matter shall be paid by the new applicant with the request made for such transfer."

3. In the principal rules, for the FIRST SCHEDULE, the following SCHEDULE shall be substituted, namely:-

"THE FIRST SCHEDULE

(See rule 5)

FEES

No. of Entry	On what payable	No. of Form	Fees (in rupees)	
			For Natural Person (s)	For other than natural person(s) either alone or jointly with natural person(s)
1.	On application for registration of design under sections 5 and 44.	1	1000.00	4000.00
2.	On claim under section 8, under sub-section (i) to proceed as an applicant or joint applicant.	2	500.00	2000.00
3.	On application for extension of copy right under sub-section (2) of section 11.	3	2000.00	8000.00
4.	On application for restoration of lapsed design under sub-section (2) of section 12.	4	1000.00	4000.00
5.	Additional fee for restoration.	-	1000.00	4000.00
6.	Inspection of registered design under sub-section (1) of section 17.	5	500.00	2000.00
7.	On request for information of design when registration no. given under Section 18.	6	500.00	2000.00
8.	On request for information of design when registration no. not given.	7	1000.00	4000.00
9.	On petition for cancellation of design under section 19.	8	1500.00	6000.00

10.	Notice of intended exhibition or publication of an unregistered design under section 21.	9	500.00	2000.00
11.	Application for registration of a document in register of design under sub-section (3) of section 30, - in respect of one design. for each additional design.	10	 500.00 200.00	 2000.00 800.00
12.	On application for entry of name of proprietor or part proprietor in register of design under section 30- in respect of one design. for each additional design.	11	 500.00 200.00	 2000.00 800.00
13.	On application for entry of mortgage or license in register of design under section 30- in respect of one design. for each additional design.	12	 500.00 200.00	 2000.00 800.00
14.	Application for entry of notification of a document in the register of design under section 30 and rule 37,- in respect of one design. for each additional design.	13	 500.00 200.00	 2000.00 1000.00
15.	On request for correction of clerical error under section 29.	14	500.00	2000.00
16.	On request for certificate under section 26 and rule 41.	15	500.00	2000.00
17.	On application for certified copy of registered design under sub-section (2) of section 17	16	500.00	2000.00
18.	On application for rectification of register of design under section 31.	17	500.00	2000.00
19.	On application for extension of time for filing priority document under rule 15.	18	200.00 *(per. month)*	800.00
20.	On notice of opposition under rule 40.	19	100.00	400.00
21.	Notice of intention to attend hearing under rules 29 and 40.	20	500.00	2000.00
22.	Form for authorisation of agent or other person.	21	-	-
23.	On request to alter name or address or address for service in the register of design under rule 31.	22	200.00	800.00
24.	On request for entries of two	23	200.00	800.00

	addresses in the register of design.			
25.	On petition under rule 46 for amendment of any document.	-	500.00	2000.00
26.	On petition under rule 47 for enlargement of time.	-	500.00	2000.00
27.	Inspection of register of design under rule 38 (in respect of each design).	-	250.00	1000.00
28.	On petition not otherwise provided for		1000	4000".

4. In the principal rules, in the SECOND SCHEDULE,-

(i) in FORMS 1, 4 and 7 for the word, letters and figures "FEE Rs.1000", the words "For fee see First Schedule" shall be substituted;

(ii) in FORMS 2, 5, 6, 9, 14, 15, 16, 17 and 20 for the word, letters and figures "FEE Rs.500", the words "For fee see First Schedule" shall be substituted;

(iii) in FORM 3 for the word, letters and figures "FEE Rs.2000", the words "For fee see First Schedule" shall be substituted;

(iv) in FORM 8 for the word, letters and figures "FEE Rs.1500", the words "For fee see First Schedule" shall be substituted;

(v) in FORM 19 for the word, letters and figures "FEE Rs.100", the words "For fee see First Schedule" shall be substituted;

(vi) in FORMS 22 and 23 for the word, letters and figures "FEE Rs.200", the words "For fee see First Schedule" shall be substituted;

(vii) in FORMS 10, 11, 12 and 13 for the word and asterisks "FEE **", the words "For fee see First Schedule" shall be substituted;

(viii) in FORM 18, for the word and asterisks "FEE *", the words "For fee see First Schedule" shall be substituted.

5. In the principal rules, for the FOURTH SCHEDULE, the following SCHEDULE shall be substituted, namely:-

"THE FOURTH SCHEDULE

(See Rule 43)

Scale of costs allowable in proceedings before the Controller

116

Entry No.	Matter in respect of which cost is to be awarded.	Amounts (in Rupees)	
		For natural person(s)	For other than natural person(s) either alone or jointly with others
1	For notice of opposition under rule 40	100	400
2	For petition for cancellation of the registration for design under section 19.	1000	4000
3	For notice of information to attend hearing	200	800
4	Stamps for power of attorney, where a professional has been appointed.	The amount actually paid.	The amount actually paid.
5	Stamps fee in respect of relevant affidavit.	The amount actually paid.	The amount actually paid.
6	For statement and evidence under sub-rule (1) of rule 29 and sub-rule (2) of rule 40	200	800
7	Counter statement under sub-rule (3) of rule 29 and sub-rule (4) of rule 40.	200	800
8	For each affidavit, if relevant	100	400
9	For each citation, if relevant.	100	400
10	For each unnecessary or irrelevant affidavit or citation	100	400
11	For every day or part of a day hearing before the Controller.	500	2000".

Note. – The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number S.O. 414 (E), dated the 11th May, 2001 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 1460 (E), dated the 17th June, 2008

(F. No.5/6/2013-IPR-V)

(D.V.Prasad)

Joint Secretary to the Government of India

106

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 31.10.2013

सा.का.नि.....(अ) डिजाइन नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) की धारा 47 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों को, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, सूचना देने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप प्रस्तावित है और एतद्‌द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्ररूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को संबोधित किए जा सकेंगे या chandni.raina@nic.in पर ई-मेल द्वारा भेजे जा सकेंगे ।

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पहले उक्त प्ररूप नियमों की बाबत किसी भी व्यक्ति से प्राप्त हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम डिजाइन (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. डिजाइन नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 5 के उपनियम (2) में खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ङ) जब किसी प्रकृत व्यक्ति द्वारा प्रक्रियागत कोई आवेदन, प्रकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को पूर्णतः या भागतः अंतरित हो जाता है तो प्रकृत व्यक्ति से प्रभारित फीस/फीसों और प्रकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति से प्रभार्य फीस/फीसों में फीस/फीसों के मापमान का अंतर, यदि कोई हो, नए आवेदक द्वारा ऐसे अंतरण के लिए किए गए अनुरोध के साथ उसी रीति में संदत्त किया जाएगा ।"

3. मूल नियमों में, प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :--

(10)

"प्रथम अनुसूची
(नियम 5 देखिए)
फीस

प्रविष्टि की सं.	निम्नलिखित पर संदेय	प्ररूप की सं०	फीस (रुपए में)	
			प्रकृत व्यक्ति/व्यक्तियों के लिए	प्रकृत व्यक्ति/व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के लिए, या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति/व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से
1.	धारा 5 और धारा 44 के अधीन डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन	1	1000.00	4000.00
2.	आवेदक या संयुक्त आवेदक के रूप में कार्यवाही करने के लिए धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन दावा करने पर	2	500.00	2000.00
3.	धारा 11 की उपधारा (2) के **अधीन प्रतिलिप्यधिकार के विस्तार के लिए आवेदन**	3	2000.00	8000.00
4.	धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन व्यपगत डिजाइन के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर	4	1000.00	4000.00
5.	प्रत्यावर्तन के लिए अतिरिक्त फीस	-	1000.00	4000.00
6.	धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत डिजाइन का निरीक्षण	5	500.00	2000.00
7.	जब धारा 18 के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं० दी गई हो तो डिजाइन की सूचना के लिए अनुरोध पर	6	500.00	2000.00
8.	जब रजिस्ट्रीकरण सं० न दी गई हो तो डिजाइन की सूचना के लिए अनुरोध पर	7	1000.00	4000.00
9.	धारा 19 के अधीन डिजाइन को रद्द करने के लिए याचिका पर	8	1500.00	6000.00
10.	धारा 21 के अधीन किसी अरजिस्ट्रीकृत डिजाइन के	9	500.00	2000.00

	आशयित प्रदर्शन या प्रकाशन की सूचना			
11.	धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन डिजाइन के रजिस्टर में किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवदेन- एक डिजाइन की बाबत प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए	10	 500.00 200.00	 2000.00 800.00
12.	धारा 30 के अधीन डिजाइन के रजिस्टर के स्वत्वधारी या आंशिक स्वत्वधारी के नाम की प्रविष्टि के लिए आवेदन पर - एक डिजाइन की बाबत प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए	11	 500.00 200.00	 2000.00 800.00
13.	धारा 30 के अधीन डिजाइन के रजिस्टर में बंधक या अनुज्ञप्ति की प्रविष्टि के लिए आवेदन पर - एक डिजाइन की बाबत प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए	12	 500.00 200.00	 2000.00 800.00
14.	धारा 30 और नियम 37 के अधीन डिजाइन रजिस्टर में दस्तावेज की अधिसूचना की प्रविष्टि के लिए आवेदन,- एक डिजाइन की बाबत प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए	13	 500.00 200.00	 2000.00 1000.00
15.	धारा 29 के अधीन लिपिकीय त्रुटि के सुधार के लिए अनुरोध पर	14	500.00	2000.00
16.	धारा 26 और नियम 41 के अधीन प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध पर	15	500.00	2000.00
17.	धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत डिजाइन की	16	500.00	2000.00

	प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन पर			
18.	धारा 31 के अधीन डिजाइन रजिस्टर की परिशुद्धि के लिए आवेदन पर	17	500.00	2000.00
19.	धारा 15 के अधीन पूर्विकता दस्तावेज फाइल करने के लिए विस्तार के लिए आवेदन पर	18	200.00 (प्रति मास)	800.00
20.	नियम 40 के अधीन विरोध की सूचना पर	19	100.00	400.00
21.	नियम 29 और नियम 40 के अधीन सुनवाई में उपस्थित होने के आशय की सूचना	20	500.00	2000.00
22.	अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के प्राधिकार के लिए प्ररूप	21	-	-
23.	नियम 31 के अधीन डिजाइन के रजिस्टर में नाम या पता या सेवा पता में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध पर	22	200.00	800.00
24.	डिजाइन रजिस्टर में दो पते की प्रविष्टियों के लिए अनुरोध	23	200.00	800.00
25.	किसी दस्तावेज के संशोधन के लिए नियम 46 के अधीन याचिका पर	-	500.00	2000.00
26.	समय बढ़ाने के लिए नियम 47 के अधीन याचिका पर	-	500.00	2000.00
27.	नियम 38 के अधीन डिजाइन रजिस्टर का निरीक्षण (प्रत्येक डिजाइन की बाबत)	-	250.00	1000.00
28.	अन्यथा उपबंधित नहीं की गई याचिका पर		1000	4000"।

4. मूल नियमों की द्वितीय अनुसूची में,-

(i) प्ररूप 1, प्ररूप 4 और प्ररूप 7 में, "फीस 1000 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) प्ररूप 2, प्ररूप 5, प्ररूप 6, प्ररूप 9, प्ररूप 14, प्ररूप 15, प्ररूप 16, प्ररूप 17 और प्ररूप 20 में, "फीस 500 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) प्ररूप 3 में, "फीस 2000 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) प्ररूप 8 में, "फीस 1500 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) प्ररूप 19 में, "फीस 100 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) प्ररूप 22 और प्ररूप 23 में, "फीस 200 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) प्ररूप 10, प्ररूप 11, प्ररूप 12 और प्ररूप 13 में, "फीस **" शब्दों और तारक चिह्नों के स्थान पर "फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(viii) प्ररूप 18 में, "फीस *" शब्दों और तारक चिह्न के स्थान पर "फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए" शब्द रखे जाएंगे ।

5. मूल नियमों में, चतुर्थ अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"चतुर्थ अनुसूची

(नियम 43 देखिए)

नियंत्रक के समक्ष कार्यवाहियों में अनुज्ञेय खर्चों का मापमान

प्रविष्टि की सं.	वे विषय जिनकी बाबत खर्च अधिनिर्णीत किया जाएगा	रकम (रुपए में)	
		प्रकृत व्यक्ति/व्यक्तियों के लिए	प्रकृत व्यक्ति/व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के लिए, या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति/व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से
1.	नियम 40 के अधीन विरोध की सूचना के लिए	100	400
2.	धारा 19 के अधीन डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की याचिका के लिए	1000	4000
3.	सुनवाई में उपस्थित होने की जानकारी की सूचना के लिए	200	800
4.	मुख्तारनामा के लिए स्टाम्प जहां वृत्तिक को नियुक्त किया गया है	वह रकम जो वास्तव में संदत्त की गई है ।	वह रकम जो वास्तव में संदत्त की गई है ।
5.	सुसंगत शपथपत्र की बाबत स्टाम्प फीस	वह रकम जो वास्तव में संदत्त की गई है ।	वह रकम जो वास्तव में संदत्त की गई है ।
6.	नियम 29 के उपनियम (1) और नियम 40 के उपनियम (2) के अधीन कथन और साक्ष्य के लिए	200	800

7.	नियम 29 के उपनियम (3) और नियम 40 के उपनियम (4) के अधीन प्रति कथन	200	800
8.	यदि सुसंगत हो, तो प्रत्येक शपथ पत्र के लिए	100	400
9.	यदि सुसंगत हो, तो प्रत्येक प्रोद्धरण के लिए	100	400
10.	प्रत्येक अनावश्यक या असंगत शपथ पत्र या प्रोद्धरण के लिए	100	400
11.	नियंत्रक के समक्ष सुनवाई के प्रत्येक दिन या दिन के भाग के लिए	500	2000" ।

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्याक का.आ.414 (अ), तारीख 11 मई, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ.1460(अ) तारीख 17 जून, 2008 द्वारा संशोधित किए गए ।

[फा.सं. 5/6/2013-IPR-V]

डी.वी.प्रसाद

(डी.वी.प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार